न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश संख्या-1, बयाना जिला भरतपुर (राज0)

उनवानी प्रकरण- प्रदीप वगै0 बनाम नरेन्द्र कुमार वगै0
नम्बरी दीवानी सं0- 22/2021

दिनांक 01.08.2025

अधिवक्ता उभय पक्षकारान उप0। अधिवक्ता प्रार्थी-प्रतिवादी संख्या-4 रामेश्वर की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांकित 09.09.2024 पर बहस सुनी गई ।

प्रतिवादी संख्या-4 की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के तथ्य संक्षेप में इसप्रकार से है कि उसने इकरारनामा दिनांक 29.04.1992 के आधार पर न्यायालय हाजा में मूल वाद दीवानी संख्या 38/1992 वउनवानी रामेश्वर दयाल शर्मा बनाम लच्छीराम व अन्य संविदा की विनिर्दिष्ट अनुपालना व निरस्त किये जाने विक्रय पत्र दिनांक 04.05.1992 व स्थाई निषेधाज्ञा की सहायता के लिए दिनांक 20.05.1992 को पेश किया जो दोनों पक्षों की सुनवाई होने के बाद न्यायालय हाजा द्वारा दिनांक 25.05.2005 को डिक्री किया गया । उसने डिक्री दिनांक 25.05.2005 की पालना के लिए इजराय संख्या 16/2007 दिनांक 23.04.2007 न्यायालय हाजा के समक्ष पेश की। डिक्री दिनांक 25.05.2005 की पालना में प्रतिवादी संख्या-4 रामेश्वर दयाल के हक में दिनांक 04.12.2014 को मदयून लच्छीराम की ओर से जरिये न्यायालय हाजा विक्रय पत्र रजिस्टर्ड कराया गया। विक्रय पत्र तारीखी 04.05.1992 पर निरस्तगी का नोट न्यायालय श्रीमान के आदेश से लगवाया गया है। वादीगण द्वारा यह वाद निर्णय व डिक्री दिनांकित 20.05.2005 व न्यायालय श्रीमान द्वारा कराये गये विक्रय पत्र दिनांकित 04.12.2014 को निरस्त कराने के लिए पेश किया गया है जिसमें साक्ष्य वादी में वादीगण की गवाही प्रारंभ होनी है, अतः वादीगण व उसके गवाहान से प्रभावी जिरह करने के लिए मूलवाद दीवानी संख्या 38/1992 एवं इजराय संख्या 16/2007 की पत्रावलियों को रिकॉर्ड रुम बयाना से तलब किया जाना न्याय हित में आवश्यक है। अतः प्रार्थना पत्र प्रतिवादी संख्या-4 स्वीकार किया जाकर न्यायालय हाजा की उपरोक्त मूल वाद दीवानी संख्या 38/1992 उनवानी रामेश्वर दयाल बनाम लच्छीराम व अन्य निर्णय दिनांक 25.05.2005 एवं इजराय संख्या 16/2007 उनवानी रामेश्वर बनाम लच्छीराम निर्णय दिनांक 20.01.2015 को रिकॉर्ड रुम बयाना से तलब किये जाने की आज्ञा दी जावे।

वादी की ओर से प्रस्तुत जवाब प्रार्थना पत्र के तथ्य संक्षेप में इसप्रकार से हैं कि प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र की मंद संख्या-1 व 2 गलत दर्ज की है। कथित मूल वाद दीवानी संख्या 38/1992 एवं इजराय संख्या 16/2017 से संबंधित दस्तावेजात की प्रतिवादी चाहे तो प्रमाणित प्रति प्राप्त कर पत्रावली पर पेश कर सकता था, उक्त प्रकरण में वादीगण व उसके गवाह के पूर्व में कोई बयान रिकॉर्ड नहीं हुए है तथा इस प्रकरण में उक्त पत्रावली का कोई सरोकार व

1/8/25
अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश
संख्या-1, बयाना (भरतपुर)

सम्बंध नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

दौराने बहस अधिवक्ता प्रार्थी-प्रतिवादी संख्या-4 रामेश्वर ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दौहराया है तथा अधिवक्ता अप्रार्थी-वादी ने जवाब प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दौहराया है।

तर्कों पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि वादीगण द्वारा हस्तगत वाद न्यायालय हाजा द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांकित 25.05.2005 व उक्त डिक्री की पालना में प्रतिवादी संख्या-4 के हक में दिनांक 04.12.2014 को निष्पादित व पंजीकृत विक्रय पत्र को अवैध शून्य एवं निष्प्रभावी घोषित कराने तथा स्थाई निषेधाज्ञा के अनुतोष हेतु वाद प्रस्तुत किया है तथा प्रतिवादी संख्या-4 ने प्रार्थना पत्र के माध्यम से उक्त मूल वाद दीवानी संख्या 38/1992 उनवानी रामेश्वर बनाम लच्छीराम व अन्य व उससे संबंधित इजराय पत्रावली 16/2007 वउनवानी रामेश्वर बनाम लच्छीराम दिनांकित 20.01.2015 को ही हस्तगत प्रकरण से संबंधित होना बताते हुए रिकॉर्ड रुम से तलब किये जाने का निवेदन किया है। ऐसी स्थिति में प्रकरण में वांछित अनुतोष के न्यायपूर्ण निस्तारण हेतु उक्त पत्रावलियां सुसंगत एवं आवश्यक होना प्रकट होती है।

अतः प्रार्थी-प्रतिवादी संख्या-04 की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर न्यायालय हाजा के उपरोक्त मूल वाद दीवानी संख्या 38/1992 उनवानी रामेश्वर दयाल बनाम लच्छीराम व अन्य निर्णय दिनांक 25.05.2005 एवं इजराय संख्या 16/2007 उनवानी रामेश्वर बनाम लच्छीराम दिनांकित 20.01.2015 को रिकॉर्ड रुम से तलब की जावे। पत्रावली वास्ते साक्ष्य वादी/प्रस्तुत होने पत्रावली दिनांक 14.08.2025 को पेश हो।

18/8/25

(सोनाली प्रशान्त शर्मा)
जयपुर जिला एवं सैशन न्यायाधीश
संख्या-1, बवाना (भरतपुर)